न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 06/2020

अनवान

1 श्री कालु पिता अर्जुन गुर्जर निवासी कानपुरा(दौलतपुरा) पोस्ट दुडिया तहसील हमीरगढ।
2 कैलाश पिता भगवान गुर्जर निवासी कानपुरा(दौलपुरा) पोस्ट दुडिया तहसील हमीरगढ
3 उदा पिता जयराम गुर्जर, निवासी कानपुर (दौलपुरा) पोस्ट दुडिया तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखदेव पिता अम्बा गुर्जर निवासी कानपुरा(दौलपुरा) जिला भीलवाडा।
2. शकरलाल पिता गोकल गुर्जर निवासी कानपुरा(दौलतपुरा) जिला भीलवाडा।
3. मांगु पिता मोहन गुर्जर निवासी कानपुरा(दौलतपुरा)जिला भीलवाडा।
4. नरायण पिता पेमा बैरवा निवासी दोलतपुरा, दुडिया भीलवाडा।
5. मूलचन्द पिता उदा बैरवा निवासी दौलतपुरा जिला भीलवाडा।
6. देवीलाल पिता लक्ष्मण बैरवा निवासी दौलपुरा जिला भीलवाडा।
7. देवा पिता मांगु गुर्जर निवासी कानपुरा (दौलतपुरा) जिला भीलवाडा।
8. धीसु पिता गंगाराम गुर्जर निवासी कानपुरा(दौलतपुरा)जिला भीलवाडा।
9. भगवान पिता जयराम गुर्जर निवासी कानपुरा(दौलपुरा) जिला भीलवाडा।
10. नन्दा पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी कानपुरा(दौलपुरा) जिला भीलवाडा।
11. सोहन पिता लक्ष्मण गुर्जश्र निवासी कानपुरा(दौलपुरा) जिला भीलवाडा।
12. सुखदेव पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी कानपुरा(दौलपुरा) जिला भीलवाडा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.01.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 27.12.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम कानपुरा प.ह. दुडिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 20 की कृषि भूमि की आ.न. 56/2 रकबा 0.4805 है0, आ.न. 673/56 रकबा 0.4426 है0, आ.न. 691/20 रकबा 0.4173 है0, आ.न. 694/20 रकबा 0.2150 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.5554 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.01.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायात 12 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम कानपुरा प.ह. दुडिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तहसील हमी[illegible]के खाते की खाता संख्या 20 की कृषि भूमि की आ.न. 56/2 रकबा 0.4805 है0, आ.न. 6[illegible]56 र[illegible]0.4426 है0, आ.न. 691/20 रकबा 0.4173 है0, आ.न. 694/20 रकबा [illegible] 1.5554 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेका[illegible] प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 10[illegible] में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित [illegible]श्नर को भुगतान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:26:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 12.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ